भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4273
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार के निवारण हेतु एफटीएससी

4273. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार के मामलों के लिए सरकार द्वारा 2019 में शुरू किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 2019 में एफटीएससी योजना शुरू होने के बाद भी अनेक मामले अभी भी लंबित हैं ; और

(घ) एफटीएससी द्वारा ट्रायल पूरा करने की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः प्रेरणा रिट (दाण्डिक) संख्या 1/2019] के अनुसरण में बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) सहित अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। संघ मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, स्कीम को दो बार बढ़ाया जा चुका है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसका लक्ष्य 790 न्यायालयों की स्थापना करना है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 750 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों सहित 408 अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालय कार्यशील हैं। इन न्यायालयों ने 31.10.2024 तक 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। केंद्रीय सरकार 790 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकों और पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय कर रही है।

(ग) : लंबित मामलों का निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में देरी के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारकों में बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए इकट्ठे मामलों की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल

है। इसके अलावा, दाण्डिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों जैसे पुलिस, अभियोजन, न्यायलयिक प्रयोगशाला, हस्तलेखन विशेषज्ञों और चिकित्सा- विधिक विशेषज्ञों की सहायता से कार्य करती है।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कीम की शुरुआत से अब तक 2,87,000 से अधिक मामलों के निपटान के बावजूद, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों सहित अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालयों में कुल मिलाकर 2,03,786 मामले लंबित हैं। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों सहित अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्योरा उपाबंध पर दिया गया है।

(घ) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, बलात्संग के मामलों की सुनवाई के लिए एक विहित समयसीमा स्थापित करती है। धारा 346(1) के परंतुक के अनुसार, बलात्संग से संबंधित विचारण को आरोपपत्र दाखिल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 35 अपेक्षा करती है कि अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इसके परिधि के अधीन विचारण पूरा किया जाना चाहिए।

****

उपाबंध

'महिलाओं और बालकों **के विरुद्ध अत्याचारों के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालय'** से **संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4273 जिसका उत्तर तारीख 20 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट कथन**

त्वरित निपटान निपटान विशेष न्यायालयों सहित अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालयों में लंबन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्योरा

(31.10.2024 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामलों की संख्या				संचयी लंबन
		संयुक्त एफटीएससी			अनन्य रूप से पोक्सो	
		बलात्संग	पोक्सो	कुल		
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	6594	6594
2	असम	0	0	0	6030	6030
3	बिहार	0	0	0	19172	19172
4	चंडीगढ़	67	161	228	0	228
5	छत्तीसगढ	101	224	325	1626	1951
6	दिल्ली	1060	0	1060	2626	3686
7	गोवा	87	59	146	0	146
8	गुजरात	912	662	1574	4375	5949
9	हरियाणा	385	961	1346	3147	4493
10	हिमाचल प्रदेश	95	244	339	290	629
11	जम्मू-कश्मीर	179	0	179	312	491
12	झारखंड	641	555	1196	3099	4295
13	कर्नाटक	211	1726	1937	3651	5588
14	केरल	1097	3822	4919	1716	6635
15	मध्य प्रदेश	2527	327	2854	7212	10066
16	महाराष्ट्र	62	788	850	901	1751
17	मणिपुर	2	67	69	0	69
18	मेघालय	0	0	0	1046	1046
19	मिजोरम	4	39	43	34	77
20	नागालैंड	4	44	48	0	48
21	ओडिशा	1052	2572	3624	6199	9823
22	पुडुचेरी	0	0	0	209	209
23	पंजाब	356	705	1061	567	1628
24	राजस्थान	201	921	1122	4612	5734
25	तमिलनाडु	0	0	0	4400	4400
26	तेलंगाना	216	8308	8524	0	8524
27	त्रिपुरा	102	29	131	87	218
	उत्तराखंड	341	648	989	0	989
29	उतर प्रदेश	7285	22813	30098	59174	89272
30	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	4045	4045
	कुल	**16987**	**45675**	**62662**	**141124**	**203786**

टिप्पण : स्कीम की शुरुआत में, देश भर में एफटीएससी का आबंटन प्रति अदालत 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*** पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में एक अनन्य रूप से पोक्सो न्यायालय का प्रचालन किया है।**

**** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय प्रचालित नहीं हुआ है।**

***** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और यौन शोषण के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।**